मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं0–0522–6666192
फोन नं0–0522–2308502

ई मेल–lkomdm@gmail.com
Website : www.upmdm.org

पत्रांक : म0भो0प्रा0/C-1299 /2012–13 दिनाँक :04-07-,2012

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

विषयः ***मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कार्यरत स्वयं सेवी संस्था अमन सेवा संस्थान हौली चौक मिलक, रामपुर काली सूची में डाले जाने के संबंध में।***

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्रांकः म0भो0प्रा0/सी0–955/2012–13 दिनांक 21.06.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संबंध में अवगत कराना है कि उक्त संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट किये जाने के विरूद्ध

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या–11388/2012 योजित की गयी है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा संस्था को ब्लैक लिस्ट किये जाने के आदेश को निरस्त करते हुए प्रश्नगत संस्था को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के महत्वपूर्ण अंश निम्नवत हैः–

.....However, so far as blacklisting is concerned, it is covered by the judgment of Division Bench of this Court presided over of one of us (Amitava Lala, J.) dated 10th May, 2011 in Civil Misc.Writ Pet. No. 3586 of 2011 (M/s Chauhan Road Lines and another Vs. Union of India and others) with reference to the judgements of this Court reported in 2010(3) AWC 2848 (Allahabad Traders Vs. State of U.P. and others) and 2010(2) ADJ 292 (DB) (Arvind Kumar Singh Vs. Union of India) following the judgment of Supreme Court reported in AIR 1975 SC 266 (Mr. Erusian Equipment and Chemicals Ltd. Vs. State of West Bengal and another). Paragraph 20 of the Mr. Erusian Equipment and Chemicals Ltd (Supra) is as follows-

"20. Blacklisting has the effect of preventing a person from the privilege and advantage of entering into lawful relationship with the Government for purposes of gains. The fact that a disability is related by the order of blacklisting indicates that the relevant authority is to have an objective satisfaction. Fundamentals of fair play require that the person concerned should be given an opportunity to represent his case before he is put on the blacklist.

Therefore, in disposing of the writ petition at the stage of admission, we direct the authority concerned to give a notice and opportunity of hearing to the petitioner in respect of blacklisting. The notice will be issued within a period of seven days from the date of obtaining a certified copy of the order and the petitioner will place his case in regard thereto within a further period of seven days and cooperate with the proceedings, inclusive of enquiry, if any. The final order will be passed within a period of two months thereafter. However, till the communication of the order to be passed by the authority concerned in connection with the blacklisting, no effect of blacklisting will be given.

उपरोक्तानुसार यह अपेक्षित है कि किसी भी संस्था को ब्लैक लिस्ट करने के पूर्व उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाये तथा संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वमुखरित (self speaking) आदेश द्वारा प्रकरण को निस्तारित करते हुए मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ को अवगत कराया जाये।

प्राधिकरण द्वारा निर्गत उपरोक्त पत्र में अंकित स्वयं सेवी संस्था अमन सेवा संस्थान हौली चौक मिलक, रामपुर को ब्लैक लिस्ट किये जाने संबंधी सूचना पत्र संख्या म0भो0प्रा0/सी0–955/2012–13 दिनांक 21.06.2012 को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

(अतुल कुमार)
निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित संस्था को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप अवसर प्रदान करते हुए समुचित निर्णय लेकर प्राधिकरण को एक सप्ताह में अवगत कराने का कष्ट करें।
3. अमन सेवा संस्थान हौली चौक मिलक, रामपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(अतुल कुमार)
निदेशक